186/2007

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 147/2007

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 मूलाराम पुत्र जीवणराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

1 मूल सिंह (फोत)।
1/1 उगम कंवर उम्र 59 वर्ष पत्नी मूलसिंह।
1/2 संतोष कंवर उम्र 28 वर्ष पुत्री मूलसिंह।
1/3 दशरथ सिंह उम्र 25 वर्ष पुत्र मूलसिंह।
1/4 सुमन कंवर उम्र उम्र 23 वर्ष पुत्र मूलसिंह।
1/5 चन्दा कुमारी उम्र 17 वर्ष अवयस्क पुत्री मूलसिंह।
1/6 आनन्द सिंह उम्र 13 वर्ष अवयस्क पुत्र मूलसिंह रेस्पोडेंट संख्या 1/5 व 1/6 जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता उगम कंवर पत्नी मूलसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण ग्राम बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 बिड़दू पुत्र भगवाना राम।
3 बंशी पुत्र भगवाना राम।
4 बलबीर पुत्र भगवाना राम।
5 प्रहलाद पुत्र भगवाना राम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील...

6 गिरधारी पुत्र भगवाना राम।
7 शंकरलाल पुत्र भगवाना राम समस्त जाति अहीर निवासीगण बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
8 दड़की (फोत)।
9 भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अ0 धारा 223 राज0 काश्तकारी अधि. विरूद्व निर्णय दिनांक 30.08.2007 दावा संख्या 19/93 बउनवानी जीवणराम बनाम मूलसिंह आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना दावा बाबत इस्तकरार हवक हुक्म इम्तनाई दवामी राजस्व रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा जिसमें वादीगण के वाद पत्र को खारिज किया है।

अपील संख्या 186/2007

1 मूलाराम पुत्र जीवणराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

बनाम

1 मूल सिंह (फोत)।
1/1 उगम कंवर उम्र 59 वर्ष पत्नी मूलसिंह।
1/2 संतोष कंवर उम्र 28 वर्ष पुत्री मूलसिंह।
1/3 दशरथ सिंह उम्र 25 वर्ष पुत्र मूलसिंह।
1/4 सुमन कंवर उम्र उम्र 23 वर्ष पुत्र मूलसिंह।
1/5 चन्दा कुमारी उम्र 17 वर्ष अवयस्क पुत्री मूलसिंह।
1/6 आनन्द सिंह उम्र 13 वर्ष अवयस्क पुत्र मूलसिंह रेस्पोडेंट संख्या 1/5 व 1/6 जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता उगम कंवर पत्नी मूलसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण ग्राम बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 बिड़दू पुत्र भगवाना राम।
3 बंशी पुत्र भगवाना राम।
4 बलबीर पुत्र भगवाना राम।
5 प्रहलाद पुत्र भगवाना राम।
6 गिरधारी पुत्र भगवाना राम।
7 शंकरलाल पुत्र भगवाना राम समस्त जाति अहीर निवासीगण बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
8 दड़की (फोत)।
9 भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अ0 धारा 223 राज0 काश्तकारी अधि. विरूद्व निर्णय दिनांक 30.08.2007 दावा संख्या 121/96 बउनवानी जीवणराम बनाम मूलसिंह आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना दावा बाबत इस्तकरार हवक हुक्म इम्तनाई दवामी राजस्व रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा जिसमें वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया है।

उपस्थित

1. श्री प्रभातीलाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संजीव माथुर अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–01.10.2018

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा वाद संख्या 19/93 एंव 121/96 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2007 के विरूद्व प्रथक–प्रथक प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि समान होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

जा रहा है निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलीयों में प्रथक–प्रथक रखी जायेगीं।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने वादी जीवणराम ने वाद घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर 87 तन ग्राम बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर कब्जे काश्त के आधार पर घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2007 से वाद संख्या 19/93 खारिज कर दिया। इसी भूमि से सम्बंधित वादी भगवाना की और से वाद संख्या 121/96 स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमें विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई वाद संख्या 121/96 स्वीकार कर प्रतिवादीगण अपीलांटस को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जिससे व्यथित होकर यह दो अलग–अलग अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व बिंज्याराम काश्त करता था बिंज्याराम के पुत्र भगवाना एवं जीवण ने बाहमी बंटवारा कर उत्तर में भगवाना व दक्षिण मे जीवण काश्त करते थे बीच में से रास्ता था भगवाना ने 1/2 हिस्से के लिए 28/93 दावा किया जो दिनांक 27.3.2006 को डिक्री हो गया इसकी कोई अपील नही हुई इसलिये यह अंतिम निर्णय है। जीवण ने वाद संख्या 19/93 पेश किया जीवण दक्षिण की तरफ आवास, टयूबवैल विद्युत कनेक्शन लेकर आबाद है गलती से इस भूमि की खातेदारी मूलसिंह के नाम दर्ज हो गई मूलसिंह ने दावा लम्बित रहते हुये भगवाना यादव के पक्ष में विक्रय पत्र करवा दिया। तहसीलदार की रिपोर्ट से जीवण का कब्जा साबित है विचारण न्यायालय

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

ने विचाराधीन निर्णय में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन किये बिना वाद खारिज कर दिया। आदेश 25 नियम 5 के अनुसार तनकीवाद निर्णय होना चाहिए था हमने आदेश 41 नियम 27 सी. पी.सी. के साथ मौके कि स्थिति के फोटो प्रस्तुत किये है जिनका कोई खण्डन नही किया है विचारण न्यायालय के निर्णय विधि विरूद्व है विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2014(2) पेज 1136 आर.एल.डब्ल्यू 2017(1) पेज 288 डी.एन.जे. 2007 (3) (राजस्थान) पेज 1339 आर.आर.डी 1983 पेज 310 आर.आर.सी. 1999 पेज 508 आर.एल. डब्ल्यू 2008(2) आर.जे. पेज 1135 पेश कर अपील अपीलांट स्वीकार करने एवं विचारण न्यायालय के निर्णय खारिज करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट ने बिंज्याराम की खातेदारी का कोई दस्तावेज पेश नही किया 2012 से 2027 तक की गिरदावरी विचारण न्यायालय में प्रदर्श हुई है इनमें भी इनकी काश्त दर्ज नही है कोई बंटवारा नामा पेश नही हुआ है मौखिक साक्ष्य भी इसकी ताईद नही करती है भगवाना राम पुत्र बिंज्याराम ने अपना हिस्सा घोषित करवाया था जिसकी कोई अपील नही हुई है वह निर्णय अंतिम है 40 साल पुरान कोई दस्तावेज पेश नही किया। आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत फोटों विचारण न्यायालय में पेश क्यों नही किये यह नही बताया है इनसे यह भी स्पष्ट नही होता है कि फोटो कोनसी भूमि की है यदि यह काबिज कास्त थे तो स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा का दावा क्यो नही लायें। गिरदावरी के आधार पर केवल मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर खातेदारी नही दी जा सकती है। इन्होंने विक्रय पत्र को भी चुनौति नही दी है। धारा 19 में इन्होंने

Lario
भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

खातेदारी क्यों नही ली स्पष्ट नही किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है दोनों अपीले खारिज की जाये।

रिबटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आदेश 41 नियम 27 का मतलब साक्ष्य होता है। इसके खण्डन में रेस्पोडेंट ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया। विक्रय पत्र को अलग से चुनौती देने की आवश्यकता नही है गिरदावरी में कब्जे का इन्द्राज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पहले का है मौखिक साक्ष्य भी दी गई है। अपील स्वीकार की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन व मनन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने वाद एवं जवाब दावा के आधार पर 6 तनकियात कायम की है विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में न तो तनकीवार विवेचन किया है और न ही अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया है ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो आवेदन इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही माने जा सकते है। अत अपील अपीलांट स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

देकर बाद सुनवाई तनकीवार विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पून निर्णय पारित करें उभयपक्ष विचारण न्यायालय में दिनांक 22.11.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर